

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल संख्या :- 166/2021

-: आदेश :-

दिनांक :- 08/10/2024

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	इधवा	2074-77	654,655	अमित कुमार पुत्र केराट	अंकित कुमार पुत्र केराट

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।


(जय सिंह कोली  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी,  
जिला झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 29

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 08/10/2024

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया अंकित कुमार पुत्र केराट प्रति गुर्जर डि इधवा  
को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी,  
जिला झुंझुनूं (राज.)